

प्रतिबन्ध

1. फायर विभाग की अनापत्ति में अंकित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा
2. होटल एवं सर्विस अपार्टमेंट का उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
3. समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित सर्विसेज की कनेटिविटी पक्ष द्वारा सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन निर्माण में नेशनल सेफटी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।
5. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, व वृक्षारोपण स्कूल भवन निर्माण, लैण्ड स्कोपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
6. एन.बी.सी. के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
7. विकलांग, दृष्टिबाधित व आशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।
8. योजना के अन्तर्गत एस.टी.पी. के निर्माण को सुनिश्चित करना होगा।
9. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन के उपयोग की अनुमति दी जायेगी।
10. होटल के उपयोग हेतु सरायएक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा
11. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है तो मांगे जाने पर प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा

Handwritten signature
JE

Handwritten signature
AE